

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

रण संख्या -311/2024

वान :

1. शिवकुमार पुत्र रामस्वरूप जाति बिश्नोई निवासी शेरकां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. सरोज बिश्नोई पत्नी शिवकुमार निवासी शेरकां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वादीगण

वनाम्

1. पवन कुमार पुत्र कृष्णदेव जाति बिश्नोई निवासी दुकान नं० 35 जनरल मार्केट, हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. मुक्ता पुत्री जगदीश पत्नी मोहनलाल जाति बिश्नोई (सिगड़) निवासी वार्ड नं० 17, संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. तनिशा बिश्नोई पत्नी अश्वनी कुमार जाति बिश्नोई निवासी हनुमानगढ़ हाल आबाद शेरकां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. श्रीमान् तहसीलदार राजस्व, टिब्बी तहसील टिब्बी।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा

53 राजस्थान काश्तकारी अधि० 1955

उपस्थिति:- 1 अधिवक्ता श्री रुपराम कासनियां :- वादीगण

2 अधिवक्ता श्री रामस्वरूप भादू :- प्रतिवादी सं० 1

डिक्री

दिनांक... 11/2/25



आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादीगण श्री रुपराम कासनियां व रामस्वरूप भादू अधिवक्ता प्रतिवादी अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि

क. चक नं० 1 एच.एम.एच के प० नं० 175/272 मु० 29 किलानं० 7/0.253 है०, 14/0.253 है०, 17/0.24245 है० पश्चिमी हिस्सा कुल 0.74845 है० नाली प्रथम में से सरोज बिश्नोई को 0.6599 है० व शेष 0.08855 है० शिवकुमार

ख. प्रतिवादी सं० 1 पवन कुमार को चक नं० 1 एच.एम.एच प० नं० 175/272 मु० 29 किलानं० 17/0.01055 है० पूर्वी हिस्सा, 15, 16/0.253 है० प्रत्येक, प० नं० 176/272

मु० 28 किलानं० 11, 20/0.253 है० प्रत्येक, 21/0.15745 है० पूर्वी हिरसा कुल 1.180 है०

उपरोक्त अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण सं० 1 का खाता तकसीम कर मुताबिक तकसीम रकम राज अलग से कायम किये जाने व शेष खाता व बैंक रहन बदस्तुर रखे जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि जाने व शेष खाता व बैंक ऋण को पक्षकारान के हिरसा पर स्थानान्तरित करते हुए तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 11/2/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(सत्यनारायण सिंह) (सजंस्व)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलेक्टर
पटन
टिब्बी